

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 276 / 2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. कुशलमय होरो वो 2. अनमोल होरो

- विक्रेता

विशाल चन्द्र बारला

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
30.05.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. कुशलमय होरो पिता स्व० कुंवर होरो वो 2. अनमोल होरो पिता प्रभुसहाय होरो ग्राम-गुसा टोली, पोस्ट-गोविन्दपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने विशाल चन्द्र बारला पिता निबाय बारला ग्राम-गुस्सा टोली, पोस्ट-गोविन्दपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>गुसा टोली</td><td>47</td><td>25</td><td>639</td><td>0.35</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	गुसा टोली	47	25	639	0.35	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
गुसा टोली	47	25	639	0.35								